भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3591
सोमवार, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 (शक)

ओडिशा में बेरोजगारी

3591. श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ओडिशा में बेरोजगारी की दर में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) अन्य राज्यों की तुलना में ओडिशा में बेरोजगारी की स्थिति क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों में पंजीकृत शिक्षित, कुशल और अकुशल बेरोजगारों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार, देश में बेरोजगारी की स्थिति पर काबू पाने के लिए विशेष भर्ती कार्यक्रम चला रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क एवं ख): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) तथा श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए रोजगार-बेरोजगारी संबंधी वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक ओडिशा में बेरोजगारी दर तथा अन्य राज्यों के साथ तुलना अनुबंध में दी गई है।

(ग): राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश में दिसम्बर, 2017 के अंत में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर पंजीकृत शिक्षित, कुशल एवं अकुशल रोजगार चाहने वालों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की संख्या उपलब्ध सीमा तक 4.24 करोड़ थी तथा इसी वर्ष के दौरान ओडिशा में यह 10.08 लाख थी।

(घ एवं ङ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश भर में चार वर्षों अर्थात् 2016-2020 के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) एवं पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशीप योजना का कार्यान्वयन की है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 16.03.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3591 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की उपलब्ध सीमा तक सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	बेरोजगारी दर (% में)		
		श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण		एनएसओ (पीएलएफएस) के सर्वेक्षण
		2013-14	**2015-16**	**2017-18**
1.	आंध्र प्रदेश	2.9	3.5	4.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.7	3.9	5.8
3.	असम	2.9	4.0	7.9
4.	बिहार	5.6	4.4	7.0
5.	छत्तीसगढ़	2.1	1.2	3.3
6.	दिल्ली	4.4	3.1	9.4
7.	गोवा	9.6	9.0	13.9
8.	गुजरात	0.8	0.6	4.8
9.	हरियाणा	2.9	3.3	8.4
10.	हिमाचल प्रदेश	1.8	10.2	5.5
11.	जम्मू और कश्मीर	8.2	6.6	5.4
12.	झारखंड	1.8	2.2	7.5
13.	कर्नाटक	1.7	1.4	4.8
14.	केरल	9.3	10.6	11.4
15.	मध्य प्रदेश	2.3	3.0	4.3
16.	महाराष्ट्र	2.2	1.5	4.8
17.	मणिपुर	3.4	3.4	11.5
18.	मेघालय	2.6	4.0	1.6
19.	मिजोरम	2.0	1.5	10.1
20.	नागालैंड	6.7	5.6	21.4
21.	ओडिशा	**4.3**	**3.8**	**7.1**
22.	पंजाब	5.4	5.8	7.7
23.	राजस्थान	3.1	2.5	5.0
24.	सिक्किम	7.1	8.9	3.5
25.	तमिलनाडु	3.3	3.8	7.5
26.	तेलंगाना	3.1	2.7	7.6
27.	त्रिपुरा	6.2	10.0	6.8
28.	उत्तराखंड	5.5	6.1	7.6
29.	उत्तर प्रदेश	4.0	5.8	6.2
30.	पश्चिम बंगाल	4.2	3.6	4.6
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	13.0	12.0	15.8
32.	चंडीगढ़	2.8	3.4	9.0
33.	दादर एवं नगर हवेली	4.6	2.7	0.4
34.	दमन और दीव	6.6	0.3	3.1
35.	लक्षद्वीप	10.5	4.3	21.3
36.	पुडुचेरी	8.8	4.8	10.3
	अखिल भारत	3.4	3.7	6.0

स्रोत: 1. वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2017-18, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

2. रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण, श्रम ब्यूरो।

टिप्पणी: पीएलएफएस और श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन अलग-अलग है।